अपर कलेक्टर
5 APR 2007
अधीक्षक कलेक्टर

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक— 2248 / 2006 / अठारह—3 भोपाल,दिनांक— 30 / 03 / 2007

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय :— विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बावत् ।

संदर्भ :— इस विभाग का ज्ञापन क 69मं. / 18—3 / 90, दिनांक— 18 / 5 / 1990

—0—

उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा राज्य शासन ने निम्नांकित विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मांस बिकी की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये है :—

1 गणतंत्र दिवस
2. गांधी निर्वाण दिवस
3. महावीर जयंती
4. बुद्ध जयंती
5. स्वतंत्रता दिवस
6. गांधी जयंती
7. रामनवमी
8. डोल ग्यारस
9. पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन
10. पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन
11. अनन्त चतुर्दशी
12. जन्माष्टमी
13. संत श्री जिन तरण तारण जयंती
14. पर्यूषण पर्व में सवत्सरी श्वेताम्बर जैन
15. भगवान महावीर के 2500 वे निर्वाण
16. चैतीचांद एव
17. गणेश चतुर्थी

—2—

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया राज्य शासन के संदर्भित निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में पशुओं के वध और मांस विक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जाये ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नरेश पाल)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ0क0 2248 / 2006 / अठारह–3 भोपाल,दिनांक– 30 / 03 / 2007

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 भोपाल ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0 ।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल ।
4. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0 ।

30/3/07

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग